

राजभाषा दर्पण

वर्ष : 2024 * त्रैमासिक * अंक : 1



दक्षिण पूर्व रेलवे
चक्रधरपुर मंडल

हिंदी साहित्य में व्यंग्य विधा का जिक्र होते ही हरिशंकर परसाई का नाम स्वतः याद आने लगता है। उनका जन्म 22 अगस्त, 1924 को मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने व्यंग्य के साथ ही “नई कहानी आंदोलन” में अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के बदलते हुए जीवन मूल्यों, सामाजिक कुरीतियों व विसंगतियों तथा राजनीतिक भ्रष्टाचार का अपनी सीधी-सादी, किन्तु, विशिष्ट भाषा में सजीव चित्रण किया है। आपकी रचनाओं को अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। आपने साहित्यिक पत्रिका “वसुधा” के प्रकाशन का दायित्व भी निभाया था। आपकी प्रमुख रचनाओं में “वैष्णव की फिसलन”, “ठिटुरता हुआ गणतंत्र”, “रानी नागफनी की कहानी”, “तट की खोज”, “सदाचार की ताबीज”, “शिकायत मुझे भी है”, “हंसते हैं रोते हैं”, “जैसे उनके दिन फिरे” आदि शामिल हैं। हिंदी साहित्य में व्यंग्य लेख संग्रह, उपन्यास और कहानी आदि विधाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए हरिशंकर परसाई को “साहित्य अकादमी पुरस्कार”, “शरद जोशी सम्मान” तथा “शिक्षा सम्मान” से सम्मानित किया जा चुका है। 10 अगस्त, 1995 को आपका देहावसान हो गया।

संस्कृति

—हरिशंकर परसाई

भूखा आदमी सड़क किनारे कराह रहा था। एक दयालु आदमी रोटी लेकर उसके पास पहुंचा और उसे दे ही रहा था कि एक-दूसरे आदमी ने उसका हाथ खींच लिया। वह आदमी बड़ा रंगीन था।

पहले आदमी ने पूछा, “क्यों भाई, भूखे को भोजन क्यों नहीं देने देते ?”

रंगीन आदमी बोला, “ठहरो, तुम इस प्रकार उसका हित नहीं कर सकते। तुम केवल उसकी तन की भूख समझ पाते हो, मैं उसकी आत्मा की भूख जानता हूँ। देखते नहीं हो, मनुष्य-शरीर में पेट नीचे है और हृदय ऊपर। हृदय की अधिक महत्ता है।”

पहला आदमी बोला, “लेकिन उसका हृदय पेट पर ही टिका हुआ है। अगर पेट में भोजन नहीं गया तो हृदय की टिक-टिक बंद नहीं हो जाएगी !”

रंगीन आदमी हंसा, फिर बोला, “ देखो, मैं बतलाता हूँ कि उसकी भूख कैसे बुझेगी!”

यह कहकर वह उस भूखे के सामने बांसुरी बजाने लगा। दूसरे ने पूछा, “यह तुम क्या कर रहे हो, इससे क्या होगा !”

रंगीन आदमी बोला, “मैं उसे संस्कृति का राग सुना रहा हूँ। तुम्हारी रोटी से तो एक दिन के लिए ही उसकी भूख भागेगी।”

वह फिर बांसुरी बजाने लगा और तब वह भूखा उठा और बांसुरी झपट कर पास की नाली में फेंक दी।

महादेवी वर्मा

‘आधुनिक युग की मीरा’ कही जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में 1907 में हुआ था। बचपन से ही चित्रकला, संगीतकला और काव्यकला की ओर उन्मुख महादेवी विद्यार्थी जीवन से ही काव्य प्रतिष्ठा पाने लगी थीं।

महादेवी वर्मा छायावाद की चौथी स्तंभ भी कही जाती हैं। उनकी मुख्य काव्य-वस्तु प्रणय एवं वेदनानुभूति, जड़ चेतन का एकात्म्य भाव, सौंदर्यानुभूति और रहस्यात्मकता है। वह मुख्यतः गीति कवयित्री हैं जिनके काव्य में परंपरा और मौलिकता का अदभुत समन्वय नज़र आता है। शब्द-निरूपण, नाद-सौंदर्य और उक्ति-सौंदर्य-सभी दृष्टियों से वह भाषा पर सहज अधिकार रखती हैं। उनके काव्य में छायावादी प्रतीकों के साथ ही मौलिक प्रतीकों का भी बहुत सहजता से प्रयोग हुआ है। रूपक, अन्योक्ति, समासोक्ति तथा उपमा उनके प्रिय अलंकार हैं।

उन्होंने कविताओं के साथ ही रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, डायरी आदि गद्य विधाओं में भी योगदान किया है। ‘नीहार’, ‘रश्मि’, ‘नीरजा’, ‘सांध्य गीत’, ‘यामा’, ‘दीपशिखा’, ‘साधिनी’, ‘प्रथम आयाम’, ‘सप्तपर्णा’, ‘अग्निरेखा’ उनके काव्य-संग्रह हैं। रेखाचित्रों का संकलन ‘अतीत के चलचित्र’ और ‘स्मृति की रेखाएँ’ में किया गया है।

वह साहित्य अकादमी की सदस्यता प्राप्त करने वाली पहली लेखिका थीं। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया। उन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 11 सितंबर, 1987 को उनका स्वर्गवास हो गया।

मैं नीर भरी दुःख की बदली !

- महादेवी वर्मा

मैं नीर भरी दुःख की बदली
स्पंदन में चिर निस्पंद बसा;
क्रंदन में आहत विश्व हँसा,
नयनों में दीपक-से जलते,
पलकों में निर्झरिणी मचली!
मेरा पग-पग संगीत-भरा,
श्वासों से स्वप्न-पराग झरा,
नभ के नव रँग बुनते दुकूल,
छाया में मलय-बयार पली!
मैं क्षितिज-भृकुटि पर घिर धूमिल,
चिंता का भार बनी अविरल,

रज-कण पर जल-कण हो बरसी
नव जीवन-अंकुर बन निकली!
पथ को न मलिन करता आना,
पद-चिह्न न दे जाता जाना,
सुधि मेरे आगम की जग में
सुख की सिहरन हो अंत खिली!
विस्तृत नभ का कोई कोना;
मेरा न कभी अपना होना,
परिचय इतना इतिहास यही,
उमड़ी कल थी मिट आज चली!
मैं नीर भरी दुःख की बदली!

गोपालदास नीरज हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, शिक्षक, मशहूर कवि और चर्चित गीतकार रहे हैं। नीरज जी पहले व्यक्ति थे, जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने दो-दो बार सम्मानित किया। उन्हें पद्म श्री पद्म भूषण, यशभारती और लगातार तीन बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

हिंदी काव्य जगत में और हिंदी फिल्मी दुनिया में गोपाल दास नीरज ने प्रेम का सबसे अधिक उजाला फैलाया है। उनके काव्य का सार सिर्फ प्रेम है। उन्होंने प्रेम पर सिर्फ कविता ही नहीं की, बल्कि, अपनी कविता में लिखे प्रेम को एक विचार मानकर जिया भी है। तभी तो, नीरज को प्रेम के मस्त गगन का सबसे चमकीला ध्रुवतारा कहा जाता है। यहां प्रस्तुत है प्रेम से छलकती हुई नीरज की लोकप्रिय कविताएं...

मीलों जहां न पता

मैं पीड़ा का राजकुंवर हूं तुम शहजादी रूप नगर की
हो भी गया प्यार हम में तो बोलो मिलन कहां पर होगा ?
मीलों जहां न पता खुशी का
मैं उस आंगन का इकलौता,
तुम उस घर की कली जहां नित
होंठ करें गीतों का न्योता,
मेरी उमर अमावस काली और तुम्हारी पूनम गोरी
मिल भी गई राशि अपनी तो बोलो लगन कहां पर होगा ?
मैं पीड़ा का...

हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए...

अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए
जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए।
जिसकी खुशबू से महक जाय पड़ोसी का भी घर
फूल इस किस्म का हर सिम्त खिलाया जाए।
आग बहती है यहां गंगा में झेलम में भी
कोई बतलाए कहां जाके नहाया जाए।
प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए
हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए।
ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए...
मेरे दुख-दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा
मैं रहूँ भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए।
जिस्म दो हो के भी दिल एक हों अपने ऐसे
मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए।
गीत उन्मन है, गज़ल चुप है, रूबाई है दुखी
ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए।

गगन बजाने लगा जल-तरंग फिर यारो

गगन बजाने लगा जल-तरंग फिर यारो
कि भीगे हम भी ज़रा संग-संग फिर यारो।
किसे पता है कि कब तक रहेगा ये मौसम
रखा है बांध के क्यों मन को रंग फिर यारो।
घुमड़ घुमड़ के जो बादल घिरा अटारी पर
विहंग बन के उड़ी इक उमंग फिर यारो।
कहीं पे कजली कहीं तान उट्ठी बिर्हा की
हृदय में झांक गया इक अनंग फिर यारो।
पिया की बांह में सिमटी है इस तरह गोरी
सभंग श्लेष हुआ है अभंग फिर यारो।
जो रंग गीत का 'बलबीर'-जी के साथ गाया
न हम ने देखा कहीं वैसा रंग फिर

जब चले जाएंगे लौट के सावन की तरह

जब चले जाएंगे लौट के सावन की तरह,
याद आएंगे प्रथम प्यार के चुम्बन की तरह।
ज़ि़क़ जिस दम भी छिड़ा उनकी गली में मेरा,
जाने शरमाए वो क्यों गांव की दुल्हन की तरह।
कोई कंधी न मिली जिससे सुलझ पाती वो,
ज़िन्दगी उलझी रही ब्रह्म के दर्शन की तरह।
दाग मुझमें है कि तुझमें यह पता तब होगा,
मौत जब आएगी कपड़े लिए धोबन की तरह।
हर किसी शख्स की किस्मत का यही है किस्सा,
आए राजा की तरह, जाए वो निर्धन की तरह।
जिसमें इन्सान के दिल की न हो धड़कन की 'नीरज',
शायरी तो है वह अखबार की कतरन की तरह।

रहीम दास जी के लोकप्रिय दोहे - हिंदी अर्थ सहित

बिगरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय।

रहिमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय ॥

अर्थ: मनुष्य को सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है, जैसे यदि एकबार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकता।

रहिमन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाय ।

टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गाँठ परी जाय ॥

अर्थ: रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है। इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता । यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गाँठ पड़ जाती है।

रहिमन देखि बड़ेन को, लघु न दीजिए डारि ।

जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारि ॥

अर्थ: रहीम कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देख कर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए। जहां छोटी सी सुई काम आती है , वहां तलवार बेचारी क्या कर सकती है?

जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग।

चन्दन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग ॥

अर्थ: रहीम कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं, उनको बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। जहरीले सांप चन्दन के वृक्ष से लिप्ट रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते।

रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सौ बार ।

रहिमन फिरि फिरि पोइए, टूटे मुक्ता हार ॥

अर्थ: यदि आपका प्रिय सौ बार भी रूठे , तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए , क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए।

जो बड़ेन को लघु कहें, नहीं रहीम घटी जाहिं ।

गिरधर मुरलीधर कहें, कछु दुःख मानत नाहिं ॥

अर्थ: रहीम कहते हैं कि बड़े को छोटा कहने से बड़े का बड़प्पन नहीं घटता , क्योंकि गिरिधर (कृष्ण) को मुरलीधर कहने से उनकी महिमा में कमी नहीं होती।

जैसी परे सो सहि रहे, कहि रहीम यह देह ।

धरती ही पर परत है, सीत घाम औ मेह ॥

अर्थ: रहीम कहते हैं कि जैसी इस देह पर पड़ती है – सहन करनी चाहिए, क्योंकि इस धरती पर ही सर्दी , गर्मी और वर्षा पड़ती है। अर्थात् जैसे धरती शीत, धूप और वर्षा सहन करती है, उसी प्रकार शरीर को सुख-दुःख सहन करना चाहिए।

खीरा सिर ते काटि के, मलियत लौन लगाय ।

रहिमन करुए मुखन को, चाहिए यही सजाय ॥

अर्थ: खीरे का कड़वापन दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटने के बाद नमक लगा कर घिसा जाता है। रहीम कहते हैं कि कड़वे मुंह वाले के लिए – कटु वचन बोलने वाले के लिए यही सजा ठीक है।

राजभाषा विषय पर विभागीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्नोत्तर

- प्रश्न 1. संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया ?
उत्तर **14 सितंबर 1949**
- प्रश्न 2. भारत का संविधान कब लागू हुआ ?
उत्तर **26 जनवरी 1950**
- प्रश्न 3. हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ?
उत्तर **14 सितंबर**
- प्रश्न 4. संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं ?
उत्तर **अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 से 351 तक**
- प्रश्न 5. राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किन भागों में दिए गए हैं ?
उत्तर **भाग 5, भाग 6 तथा भाग 17 में**
- प्रश्न 6. संविधान का भाग 17 संसद में किस तारीख को पारित हुआ ?
उत्तर **14.09.1949**
- प्रश्न 7. संघ की राजभाषा क्या है ?
उत्तर **संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है**
- प्रश्न 8. संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन संबंधी प्रावधान है ?
उत्तर **अनुच्छेद 344 (1)**
- प्रश्न 9. संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया ?
उत्तर **अनुच्छेद 344 (4)**
- प्रश्न 10. संविधान के अनुच्छेद 344 (4) के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं ?
उत्तर **30 (तीस)**
- प्रश्न 11. संविधान के अनुच्छेद 344 (4) के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं ?
उत्तर **20 (बीस)**
- प्रश्न 12. संविधान के अनुच्छेद 344 (4) के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं ?
उत्तर **10 (दस)**
- प्रश्न 13. अनुच्छेद 344(1) के अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया ?
उत्तर **07 जून 1955**
- प्रश्न 14. राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ?
उत्तर **बी. जी. खेर**
- प्रश्न 15. हिंदी के प्रयोग के पुनरीक्षण के लिए संसदीय राजभाषा समिति की कुल कितनी उप समिति बनाई गई है ?
उत्तर **तीन उप समितियां**
- प्रश्न 16. संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति द्वारा रेल मंत्रालय का निरीक्षण किया जाता है ?
उत्तर **दूसरी उप समिति द्वारा**
- प्रश्न 17. संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए अनुदेश दिए गए हैं ?
उत्तर **अनुच्छेद 351**
- प्रश्न 18. संविधान की आठवीं अनुसूची के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं ?
उत्तर **अनुच्छेद 344 (1) और 351**
- प्रश्न 19. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है ?
उत्तर **अनुच्छेद 348**

- प्रश्न 20. राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ?
 उत्तर **गोविंद बल्लभ पंत**
- प्रश्न 21. संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं ?
 उत्तर **22**
- प्रश्न 22. संविधान के भाग—XVII (सत्रह) में भाषा संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में हैं ?
 उत्तर **9 अनुच्छेद (अनुच्छेद 343 से 351 तक)**
- प्रश्न 23. आठवीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है ?
 उत्तर **नेपाली**
- प्रश्न 24. संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी, और मणिपुरी भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया ?
 उत्तर **सन् 1992 में**
- प्रश्न 25. संविधान की आठवीं अनुसूची में मैथिली, बोड़ो, डोगरी और संथाली भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया ?
 उत्तर **सन् 2003 में**
- प्रश्न 26. राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ ?
 उत्तर **10 मई 1963**
- प्रश्न 27. राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) कब से लागू हुआ ?
 उत्तर **26 जनवरी 1965**
- प्रश्न 28. राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ ?
 उत्तर **1967**
- प्रश्न 29. राजभाषा अधिनियम 1963 (यथासंशोधित 1967) की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को किस भाषा में जारी करना अनिवार्य है ?
 उत्तर **हिंदी – अंग्रेजी द्विभाषी**
- प्रश्न 30. संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों का निर्वाचन किसी प्रकार किया जाता है ?
 उत्तर **लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा**

राष्ट्रीयता का भाषा और साहित्य के साथ गहरा संबंध है।

— डा. राजेन्द्र प्रसाद

देश के सबसे बड़े भू-भाग में बोली जानी वाली हिंदी ही राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी है।

— सुभाष चंद्र बोस

हिंदी हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक व्यवहार में आने वाली भाषा है।

— राहुल सांकृत्यायन

हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने से प्रांतीय भाषाओं को हानि नहीं, वरन लाभ है।

— अनन्त शयनम अय्यंगार

कोई भी देश सच्चे अर्थों में तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक वह अपनी भाषा में नहीं बोलता।

— महात्मा गांधी

हिंदी ही एक भाषा है, जो भारत में सर्वत्र बोली और समझी जाती है।

— डॉ. ग्रियर्सन

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के दस्तावेज, जिन्हें द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) रूप में जारी करना अनिवार्य है:-

1. सामान्य आदेश
2. सूचना
3. अधिसूचना
4. प्रेस विज्ञप्तियां/प्रेस नोट
5. संविदा
6. करार
7. लाइसेंस
8. परमिट
9. टेंडर फॉर्म एवं नोटिस
10. संकल्प
11. नियम
12. संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागज-पत्र (रिपोर्टों के अलावा)
13. संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट
14. प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट



संरक्षक
अरुण जातोह राठौड़
मंडल रेल प्रबंधक

मार्गदर्शन
विनय कुजूर
अपर मंडल रेल प्रबंधक
सह अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी

‘राजभाषा दर्पण’ में प्रकाशनार्थ रचनाएं rajbhashackp@gmail.com पर ई-मेल की जा सकती हैं अथवा राजभाषा विभाग, चक्रधरपुर को भेजी जा सकती हैं।

संपादक
अश्विनी कुमार
वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक
एवं राजभाषा अधिकारी

प्रकाशक : राजभाषा विभाग, चक्रधरपुर

फोन (रेलवे) : 72379